सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 210 राँची ,सोमवार

22 वैशाख 1936 (श०)

12 मई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 अप्रैल, 2014

विषय:- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण।

संख्या-15/निति नि०-07-02/2014 का०-3286-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-398 दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के अन्तर्गत निम्न कोटि के पद पर से उच्चतर कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए ग्रेड पे आधारित न्यूनतम कालावधि निर्धारित की गई है। उक्त में संकल्प संख्या - 5606 दिनांक 25 जून, 2013 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक - 6674 दिनांक 24 जुलाई, 2013 द्वारा कतिपय संशोधन/शुद्धि-पत्र निर्गत किये गए हैं। इस विषयक कई स्तर पर यह भ्रांति है कि प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना निम्न पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से की जानी है या निम्न पद का ग्रेड पे मिलने की तिथि से। इसे स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिए गए हैं।

(i) राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के रिक्त पदों के विरूद्ध अर्हता प्राप्त कर्मियों के प्रोन्नति की त्वरित कार्रवाई की जाय। इसके लिए वर्ष में कम से कम दो बार विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आवश्य आहूत की जाय।

(ii) राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दू पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र ज्ञापांक ए०बी० 14017/61/2008- इस्ट (आर०आर०), दिनांक 24 मार्च, 2009 द्वारा निर्धारित कालावधि के आलोक में इस राज्य में भी प्रोन्नति निमित्त कालावधि का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाए :-

क्रमांक	पद (जिससे प्रोन्नति दी जानी है) का ग्रेड वेतन	पद (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है) का ग्रेड वेतन	प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि
01	02	03	04
1	1800	1900	Placement as per 6th CPC recommendations
2	1900	2000	3 Years
3	1900	2400	8 Years
4	2000	2400	5 Years
5	2400	2800	5 Years
6	2400	4200	10 Years
7	2800	4200	6 Years
8	4200	4600	5 Years
9	4200	4800	6 Years
10	4200	5400	8 Years
11	4200	6600	10 Years
12	4600	4800	2 Years
13	4600	5400	3 Years
14	4600	6600	7 Years

15	4800	5400	2 Years
16	4800	6600	6 Years
17	5400	6600	5 Years
18	6600	7600	5 Years
19	6600	8700	10 Years
20	7600	8700	5 Years
21	7600	8900	6 Years
22	8700	8900	2 Years
23	8700	10000	3 Years
24	8900	10000	2 Years

(iii) उपरोक्त तालिका के कालम 2 में अंकित ग्रेड वेतन से संबंधित पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से कालावधि की गणना की जाएगी। बाह्य सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों के मामलों में कालावधि की गणना वर्तमान पद पर प्रोन्नति की तिथि से की जायगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि MACP के फलस्वरूप प्राप्त ग्रेड वेतन को कालावधि की गणना करने के लिए आधार नहीं बनाया जायगा।

2. (i) उक्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरी नहीं हो सकने के स्थिति में जहाँ रिक्ति उपलब्ध हो तथा कालावधि पूर्ण नहीं होने के कारण प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों की कुल कालावधि यदि पूरी हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में धारित पद से उच्चतर पद के लिए निर्धारित कालावधि में 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए संबन्धित पदाधिकारी ही दाषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का विलम्ब रहना हो।

(ii) कालावधि में उक्त छूट के प्रावधान के बावजूद प्रोन्नति के पद रिक्त रहने की स्थिति में धारित पद या उससे दो स्तर के नीचे के पदों से उच्चतर पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर तीनों पदों की कुल कालावधि यदि पूरी हो जाती है, तो वैसी परिस्थिति में धारित पद से उच्चतर पद के

लिए निर्धारित कालावधि में 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमान्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

(iii) उपरोक्त कंडिका 2(i) तथा 2(ii) में अंकित छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी ही दोषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का विलम्ब रहना हो।

3. राज्य सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए कालावधि निर्धारण अथवा छूट के संबंध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्प/नियम इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुरूप संशोधित कर लेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस०के०शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 210–50 ।